



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 855/2008

याचिकाकर्ता : मेसर्स बालाजी ट्रेवल्स

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : राज्य परिवहन एसटीएटी एवं अन्य।

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 18.02.2008 को सूचीबद्ध करें।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 855/2008

याचिकाकर्ता :

मेसर्स बालाजी ट्रेवल्स, द्वारा प्रोपराइटर: श्री विजय कुमार गुप्ता, पिता श्री बी.पी. गुप्ता,
आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी तपकरा, जिला जशपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. राज्य परिवहन एसटीएटी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
2. राज्य परिवहन प्राधिकरण, नया बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका)

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

श्री अमित कुमार शर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री सुमेश बजाज, राज्य हेतु शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 18 फरवरी, 2008 को पारित किया गया)

1. याचिकाकर्ता, राज्य परिवहन प्राधिकरण (संक्षेप में " प्राधिकरण") द्वारा पारित
आदेश दिनांक 14.08.2006 (संलग्नक पी/2) और राज्य परिवहन एसटीएटी



(संक्षेप में 'एसटीएटी') द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2007 (संलग्नक पी/4) से व्यथित होकर, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को जशपुर नगर से राजगीर वाया शंख, गुमला, लोहरदगा, कुडू, बालूमाथ, बरियान, अधरामोद, चतरे, जोरी, हंटरगंज और गया तक मंजिली-गाड़ी चलाने हेतु कुछ शर्तों के साथ परमिट स्वीकृत किया गया था, और एसटीएटी के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध की गई अपील भी खारिज कर दी गई थी।

2. तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसके पश्चात 'अधिनियम, 1988' कहा गया है) की धारा 69, 70 और 71 के

अधीन मंजिली-गाड़ी परमिट की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

आपतिया आमंत्रित करने हेतु लोक सूचना जारी की गई थी। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। अतएव, प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 14.08.2006 (संलग्नक पी/2)

के माध्यम से याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों पर परमिट स्वीकृत किया:

- "1. पूर्व स्वीकृत स्थायी परमिट क्रमांक-25/एसटीए/स्टेज/2002, निरस्ती बाबत जमा कराना आवश्यक होगा।
2. राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार एवं झारखंड द्वारा परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराया जाना आवश्यक होगा, एवं ऐसे प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की प्रति इस कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।



3. परमिटधारी द्वारा परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बगैर परमिट जमा (डिपोजिट) कर सेवा संचालन बंद नहीं किया जावेगा।
4. जन सुविधा की दृष्टि से मार्ग में पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष पुरानी वाहन का संचालन नहीं किया जावेगा।
5. राज्य परिवहन प्राधिकार के संकल्प क्रमांक 02/2001, दिनांक 06.02.2001 की शर्तें भी इस परमिट की शर्तें होंगी।
6. परमिटधारी इस आदेश की सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर परमिट का नवीनीकरण आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव अपास्त माना जावेगा।"

3. शर्त क्रमांक 4 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एसटीएटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। एसटीएटी ने याचिकाकर्ता को सुनने के पश्चात यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील खारिज कर दी कि धारा 72(2)(xxii) के अधीन किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोक सूचना दी गई थी और याचिकाकर्ता को सभी शर्तों पर सुना गया था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध हैं क्योंकि अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(xxii) के अधीन परमिट की शर्तों में परिवर्तन करने और/या अतिरिक्त शर्तें जोड़ने के लिए एक माह की पूर्व सूचना दिए बिना कोई शर्त नहीं थोपी जा सकती। विद्वान अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3862/2005 (गिरीबाला झा विरुद्ध झारखंड



राज्य व अन्य) के प्रकरण में दिनांक 17.07.2006 को पारित विनिश्चय का अवलंब लिया।

5. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है। अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(xxii) यह उपबंध करती है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक माह की सूचना देने के पश्चात्, परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है और/या परमिट में अतिरिक्त शर्तें जोड़ सकता है। समान मामले में, जिसमें मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 48(3)(xxi), जो कि अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(xxii) के समविषयक है, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि एक माह की सूचना की शर्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परमिट के मामले में लागू होती है। चूँकि परमिट राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसलिए उसमें परिवर्तन करने की शक्ति उसी में निहित थी। (देखें- बी.एस. पद्मावथम्मा विरुद्ध ए.पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य) {1996 9 एस.सी.सी. 410}¹। मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 48(3) (xxi) निम्नानुसार है:

"प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् -



(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा :

परन्तु खंड (i) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन न किया जाएगा कि मूल मार्ग में जितनी दूरी आती है उसमें चौबीस किलोमीटर से अधिक का अंतर पड़ जाए और इन सीमाओं के अंदर कोई परिवर्तन केवल तभी किया जा सकेगा जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा परिवर्तन जनता की सुविधा के लिए साधक होगा तथा यदि यह समीचीन नहीं है कि उस मूल मार्ग की बाबत जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया है या उसके किसी भाग की बाबत पृथक् परमिट दिया जाए;"

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(xxii) निम्नानुसार है:

"प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् -

(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा :

परन्तु खंड (i) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन न किया जाएगा कि मूल मार्ग में जितनी दूरी आती है उसमें चौबीस किलोमीटर से अधिक का अंतर पड़ जाए और इन सीमाओं के अंदर कोई परिवर्तन केवल तभी किया जा सकेगा जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा परिवर्तन जनता की सुविधा के लिए साधक होगा तथा यदि यह समीचीन नहीं है कि उस मूल मार्ग की बाबत जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया है या उसके किसी भाग की बाबत पृथक् परमिट दिया जाए;"





6. अतः, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(xxii) के उपबंध राज्य परिवहन प्राधिकरण पर भी लागू होंगे, खारिज किया जाता है क्योंकि अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(xxii) के उपबंधों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि वे केवल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण पर ही लागू होते हैं। वर्तमान प्रकरण में, राज्य प्राधिकरण ने कुछ शर्तें जोड़ी हैं, अतः उक्त उपबंध वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है।

7. तदनुसार, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2006 (संलग्नक पी/2) के साथ-साथ राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2007 (संलग्नक पी/4), विधि सम्मत एवं उचित हैं और उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।